22/6/18. पत्रावली लोक अदालत आज.

कार्यवाही की गई। पक्षकार उपस्थित थे। पक्षकारों को समझाइश करने के पश्चात इस आशय का शपथपत्र पेश किया कि वाद में अंकित आराजी पर मौके के कब्जे में आपस विभाजन पर अभिवाय जाकर पक्षकारों के स्पष्ट प्रयास कर दिया जावे।

पक्षकारों की सहमति से वाद में अंकित आराजी की कब्जे की मौजूदा पटवारी व अ. अभिलेख निरीक्षक को मौके पर भिजवाकर विभाजन तैयार कराया गया। तथा विभाजन पर पक्षकारों की सहमति होने पर तुलनात्मक विभाजन आदेश डिक्री जारी की गयी। डिक्री की प्रति वास्ते पालना पटवारी/सहायक अभिलेख को दी जावे। पत्रावली फिनफ. लोक नम्बर से कायम।

अध्यक्ष
लोक अदालत
मनोहरथाना (झालावाड़)

मदनलाल

कमलाबाई

गोपीबाई